



SSC GK

PARMAR'S GK BATCH

TOPIC

Fundamental Rights

Lecture :- 4



For Notes Join Telegram :



OR
Scan



Click on the icon.



For Lectures Subscribe Our Parmar SSC Youtube Channel



OR
Scan



Click on the icon.

† दैशीकरण से {Ongihi - भारत} भारत में सम्मिलित होना X

- ① पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त करने के लिए 7 वर्षों तक भारत में रहना होगा।
- ② दैशीकरण से नागरिकता प्राप्त करने के लिए 12 वर्षों तक भारत में रहना होगा।

नागरिकता संक्षोधन अधिनियम 2019 (CAA)

↳ 3 दैशी - अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं बोर्डोइका
6 समुदाय - हिन्दू, सिख, पारसी, बौद्ध, ईसाई & जैन

इन दैशी से आने वाले लोगों की 12 वर्ष के बाय 6 वर्ष ही भारत में रहना पड़ेगा।

भाग-3 मौलिक अधिकार

अनुच्छेद → 12-35

→ UK

- ① अमेरिका के संविधान से लिया गया है। (मैरेनाकार्ट)
- ② मौलिक अधिकार योग्य है लेकिन निरपेक्ष नहीं।
- ③ ये पवित्र (Sacrosanct) / स्पायी नहीं हैं।
- ④ ये वाद्ययोग्य (Justiciable) / स्वर्तनीय हैं।

मौलिक अधिकार

अनुच्छेद

1. समानता का अधिकार	14-18
2. स्वतंत्रता का अधिकार	19-22
3. श्रीसंवेद के विरुद्ध अधिकार	23-24
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार	25-28
5. संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार	29-30

मूल संविधान	- 7) - 1	44वं संविधान संशोधन 1978 से हटा
वर्तमान	- 6		संपत्ति का अधिकार

→ 300 A (कानूनी अधिकारी)

अनुच्छेद 12 :

राज्य की परिभ्राष्टा

संसद स्वं :	राज्यीका विधानमंडल	स्थानीय	अन्य
केन्द्र सरकार	स्वं राज्यीकी सरकार	स्थायिकारी	स्थायिकारी

अनुच्छेद 13 :

संविधान पूर्व जो कानून / नियम थे

संविधान पश्चात संसद / राज्य के विधानमंडलों के हारा जो भी नियम / कानून बनाये जाते हैं स्वं राष्ट्रपति / राज्यपाल का अध्यादेश

इन सभी कानूनी से मौलिक अधिकारी की सुरक्षा की गारंटी दी गई है।

राज्य की स्सें कानून नहीं बनाने चाहिए जो संविधान के अनुसप्तनही ही और अगर कानून का मसौदा किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की साथ व्यक्ति के हैं, तो उक्त कानून उलंघन की सीमा तक शून्य ही जायेगा।

SC - केशवानन्द भारती केस . 1973

→ मूल ढांचे की तोड़ने पर कानून रद्द

अनुच्छेद 14 : विधि के समझ समानता एवं विधियों का समान संरक्षण

विधि के समझ समानता - कीर्ति भी कानून से छढ़ा नहीं है। कानून सबसे बड़ी होता है। विटेन के संविधान से गृहण।

विधियों के समान संरक्षण - समान परिस्थितियों में समान और असमान परिस्थितियों में असमान व्याय की उपलब्धारण। अमेरिका से गृहण।

अनुच्छेद 15: धर्म, मूलवेश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भ्रीदभाव का प्रतिवेद्य।

15(1) : राज्य भ्रीदभाव नहीं कर सकता।

15(2) : प्राइवेट त्यक्ति भ्रीदभाव नहीं कर सकता।

(दुकान, रेस्ट्रा, ईटल, मनीरेजन, कुआं, नदीघाट, रोड आदि जगह कीर्ति भ्रीदभाव नहीं)

अनुच्छेद 16: लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता।

धर्म, मूलवेश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास स्थान, बैशक्षण्म, के आधार पर कीर्ति भ्रीदभाव नहीं हो सकता।

16(4) : जौलारी में SC/ST/OBC के लिए आरक्षण

वालाजी Vs मैसूर मामला

देवदशन Vs केन्द्र सरकार मामला

इंदिरा साहनी मामला (1993)

1979 - मंडल कमीशन

→ 2nd पिछड़ा आयोग

OBC की भ्री आरक्षण

Promotion में आरक्षण X

VP सिंह (✓)

50% से ज्यादा नहीं

अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का अंत

अनुच्छेद 18: उपाधियी का अंत

राज्य उपाधि नहीं दे सकता (महाराजा 'x) लैगिन सम्मान
दे सकता है। (डॉ०, इंगिनियर, भारत रत्न आदि)

स्वतंत्रता का अधिकार (19-22)

अनुच्छेद 19: बीलने की स्वतंत्रता के संबंध में नुष्ठ अधिकार
6 स्वतंत्रता

- S 19(1)(a): भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार
- A 19(1)(b): शांतिपूर्ण तथा दृष्टियाररहित सम्मेलन का अधिकार
- A 19(1)(c): संघ, संगम एवं सदकारी समितियाँ बनाने का अधिकार
- M 19(1)(d): भारत के राज्यक्षेत्र में घूमने का अधिकार
- R 19(1)(e): भारत के राज्यक्षेत्र में बसने का अधिकार
- 19(1)(f): संम्पत्ति का अधिकार (44 वां संविधान संशोधनी, 1978 के तहत दृष्टाया गया।)
- O 19(1)(g): कीर्ति भीत्यवसाय, वृति एवं आपीविका का अधिकार

अनुच्छेद 20: अपराधी के लिए ढीप सिफ़ि के संबंध में संरक्षण /

- (a) एक अपराध के लिए एक सजा।
- (b) वर्तमान कानून के तहत सजा। (अपराध के समय गलकानून)
- (c) एवं के विरुद्ध न्यायालय में गोवाई देने के लिए बाद्य नहीं।

अनुच्छेद 21: प्राण एवं दैतिक स्वतंत्रता का अधिकार

मैनिका गांधी के स (विदेश जासूकते)

सीने का अधिकार, विजली का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार,

अनुच्छेद 21(A) : 6-14 वर्ष की बच्चों की धार्मिक निशुल्क शिक्षा का अधिकार ।

86 तां संविधान संशोधन 2002 के तहत जीड़ गया ।

अनुच्छेद 22 : लुढ़ दशाओं में गिरफतारी और निरीद से संरक्षण ।

1. दिसत मैं लैने का कारण बताना हीगा ।
2. 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पैश ।
3. मनपसंद वकील से सलाह लैने का अधिकार ।

शोषण के विरुद्ध अधिकार (23-24) :

अनुच्छेद 23 : मानव का दुख्यपार, रेगर सर्व ब्राह्मण में का प्रतिषेद्य ।

अनुच्छेद 24 : कारखानी, रखना आदि मैं बच्चों की नियोजन का प्रतिषेद्य । (जीरिकम भरे स्थानी पर नहीं) (14 वर्ष से कम बच्चे) ; (+) (1) P.

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार : ; (B) (1) P. O

अनुच्छेद 25 : अंतःकरण की स्वतंत्रता । किसी भी धर्म की मानने या न मानने की स्वतंत्रता । ; (B)

अनुच्छेद 26 : धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता ।

अनुच्छेद 27 : किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं देने की स्वतंत्रता ।

अनुच्छेद 28 : कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति हीने की स्वतंत्रता नहीं । (सरकार द्वारा वित्पीछित संस्थान)

सांस्कृतिक स्वं शिक्षा का अधिकार:

अनुच्छेद 29: भाषा, लिपि स्वं संस्कृति की बनार्स रखने का अधिकार। (सभी भारतीय नागरिकों)

अनुच्छेद 30: अल्पसंरक्षित शिक्षण संस्थानों की स्पष्टापना स्वं प्रशासन का अधिकार।

अनुच्छेद 32: संविदान की आत्मा → डॉ B.R. अम्बेडकर

और हह्य
“संविदानिक उपचारी का अधिकार”

- यह मौलिक अधिकारी के सुरक्षा की गारंटी देता है।
- मौलिक अधिकारी के उल्लंघन पर अनुच्छेद 32 के तहत SC स्वं अनु० 226 के तहत HC द्वारा लागू करवा सकते हैं।

→ उच्चम न्यायालय द्वारिका किये गये रिट की सुनवाई से इनकार नहीं कर सकता जबकि अनु० 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा रिट की सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाना संविदानिक रूप से अनिवार्य नहीं है।

→ उच्च न्यायालय का अधिकार क्लीन (Writ Petition) सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में त्यापक है।

→ SC केवल मौलिक अधिकारी के लिए ही रिट द्वारा करता है जबकि HC मौलिक अधिकार स्वं विधिक अधिकार दीनी के लिए रिट द्वारा करता है।

न्यायालय द्वारा द्वारा द्वारा रिट के प्रकार:

बंदी प्रत्यक्षीकरण: अर्थ → ‘शरीर प्राप्त करना’

(राज्य) प्राइवेट व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को अवैद्यरूप से हिरासत में लिये जाने पर बंदी प्रत्यक्षीकरण का उल्लंघन होगा।

परमादेश : “ हम आदेश देते हैं कि ”

यदि कोई सार्वजनिक अधिकारी / कर्मचारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों की करने से इंकार कर देता है तब यह रिट उसके विरुद्ध जारी की जाती है।

यह राष्ट्र के विरुद्ध जारी नी भा सकती प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध नहीं।

प्रतिशेष : प्रतिशेष - ‘रीकना’

SC

HC

अदीनस्थ न्यायालय

यदि HC ने कोई कैसला सुना दिया लेकिन SC को यह कैसला तर्कसंगत नहीं लगा तो SC उस कैसले को रद्द करके स्वयं अंतिम नियंत्रि देगी।

अधिकार पूछदा : “आपका प्राधिकार वर्या है ?”

यदि किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से ‘सार्वजनिक पद’ को घारण किया है तो उसके विरुद्ध यह रिट जारी होती है।

अनुच्छेद 33 :

सुरक्षाबल, पुलिस, सैना, आसूचना संगठनों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने के संसद की शक्ति।

अनुच्छेद 34 :

किसी भी *territory* में *martial law* (सैना विधि) लागू है तो वहाँ मौलिक अधिकारों को निलंबित या सीमित करने की संसद की शक्ति।

अनुच्छेद 35: मौलिक अधिकार के उलंघन की स्थिति में दण्ड निर्धारित करने देते कानून बनाने की अंतिम शक्ति संसद के पास हीगी।

रियो के समक्ष समानता

Law
14

Created
X

opportunity
titles

D O U B T'

15 16 17 18
discrimination unaccountability

S A A M R O

19

C L E A R L Y
20 21 21A 22 X 23

Labour / Child Labour

Life & Arrest &
Liberty Detention

केवल नागरिकों की प्राप्त अधिकार:

मंत्र → 15 16 19 29 30

- ① संघ. संसद / राज्य विद्यानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों पर संविधान प्रावधान की कीनसा उनु० प्राप्तिकर्ता दीता है - अनु० 13
- ② संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के टिस्से के रूप में आजीविका का अधिकार किस मामले के कारण ढरकर रखा गया था। - औल्गा टेलिम बनाम बॉम्बे नगर निगम
- ③ भव संपत्ति के अधिकार की मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया तब प्रधानमंत्री कोन पे - मौरारजी देसाई